मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल

क्रमांक 303/2893/2019/नियम/चार भोपाल, दिनांक 13/2/2020

प्रति,

विकास आयुक्त एवं
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय भोपाल।

विषय :– तिलहन संघ के सेवायुक्तों को स्वीकृत पांचवा एवं छटवां वेतनमान के वेतन निर्धारण आदेश का अनुमोदन।

संदर्भ :– वित्त विभाग का पत्र क.348/118/19/नियम/चार दि. 25–02–2019

***

संदर्भित पत्र के अनुसार तिलहन संघ से जिला/जनपद पंचायत/मण्डी बोर्ड/समिति में प्रतिनियुक्ति पर ऐसे स्थानीय निकायों (जिनके लेखों की संपरीक्षा स्थानीय निधि संपरीक्षा संचालनालय द्वारा की जाती है) में पदस्थ सेवायुक्तों के वेतन निर्धारण का अनुमोदन स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा किये जाने के निर्देश है।

2. यह समक्ष में आया है कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत ऐसी संस्थाये भी है, जिनके लेखो की स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग द्वारा संपरीक्षा नही की जाती है (यथा म0प्र0राज्य रोजगार गारंटी परिषद) ऐसी संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ तिलहन संघ के सेवायुक्तों के वेतन निर्धारण के अनुमोदन नही हो पा रहे हैं। अतः ऐसी संस्थाओं में तिलहन संघ से प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ सेवायुक्तों के वेतन निर्धारण के लिये विभाग में पदस्थ संचालक/वित्तीय सलाहकार (म0प्र0 वित्त सेवा संवर्ग) को अधिकृत किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अजय चौबे)
उप सचिव
म0प्र0शासन,वित्त विभाग

पृष्ठा.क्रमांक 304/2893/2019/नियम/चार भोपाल, दिनांक 13/2/2020

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त कोष एवं लेखा,संचालनालय, भोपाल, मध्यप्रदेश ।
2. संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, म0प्र0 भोपाल।
3. वित्तीय सलाहकार, (संचालक, म0प्र0 वित्त सेवा संवर्ग) ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित।

अवर सचिव
म.प्र.शासन,वित्त विभाग

Rule-395